

**राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)**

क्रमांक :-एफ28(8)परावि/प्रशा-2/ग्राविअ/रिक्तपद/श्रेणी.सू/पार्ट/2020/

जयपुर,दिनांक:-

- 1-जिला कलेक्टर - समस्त ।
- 2-मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद - समस्त ।

विषय :-ग्राम विकास अधिकारी भर्ती-2021 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति/पदस्थापन बाबत ।

विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा ग्राम विकास अधिकारी भर्ती-2021 में ग्राम विकास अधिकारी के पद हेतु सफल रहे 171 अभ्यर्थियों की सूची उपलब्ध करवाई गई है। अभ्यर्थियों की मेरिट एवं उनकी प्राथमिकता के अनुसार जिला आवंटन कर दिया गया है। संपूर्ण जिला आवंटन का विवरण विभागीय वेबसाईट www.rajpanchayat.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।

सभी जिलों को उन्हें आवंटित पात्र अभ्यर्थियों की सूचियां एवं उनके आवेदन पत्र मय दस्तावेज अलग से भिजवाये जा रहे हैं। सभी मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से यह अपेक्षित है कि आवेदन फॉर्म प्राप्त करने हेतु वे समस्त आगामी कार्यवाही समयबद्ध रूप से पूर्ण करेंगे । आपके जिले को आवंटित अभ्यर्थियों की सूची एवं उनके आवेदन पत्र मय दस्तावेज प्राप्त किये जाने हेतु आपके कार्यालय के किसी राजपत्रित अधिकारी को उनके हस्ताक्षर प्रमाणित कर, दिनांक 12.09.2023 को इंदिरा गांधी ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर में भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें ।

चयन एवं पंचायत समिति आवंटन की प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु सभी जिलों में जिला स्थापना समिति की बैठक दिनांक 15.09.2023 को आवश्यक रूप से आयोजित किया जाना समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनिश्चित करेंगे । इसी प्रकार पंचायत समिति स्तर पर आवश्यक रूप से दिनांक 21.09.2023 को पंचायत समितियों की प्रशासन एवं स्थापना समितियों की बैठक आयोजित कर ग्राम पंचायत में नियुक्ति/पदस्थापन बाबत समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर ली जाएं ।

शेष निर्देश विभागीय राजकाज पत्रांक 3512736 दिनांक 28.03.2023 के अनुसार पालनार्थ रहेंगे ।

संलग्न. उपर्युक्तानुसार जिला आवंटन सूचियां

(रवि जैन)
शासन सचिव एवं आयुक्त



प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1-विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 2-निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
- 3-निजी सचिव, महानिदेशक, इंदिरा गाँधी ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर।
- 4-निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर
- 5-निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
- 6-निजी सहायक, अतिरिक्त आयुक्त एवं उप शासन सचिव(तृतीय) प्रशिक्षण, मुख्यालय।
- 7-अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त।
- 8-उपायुक्त एवं उप शासन सचिव (प्रथम) विधि, मुख्यालय।
- 9-प्रोग्रामर, कम्प्यूटर सैल, पंचायती राज विभाग, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
- 10-विकास अधिकारी समस्त।
- 11-रक्षित पत्रावली।

**अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव (प्रथम)**

